न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 01/2019

अनवान :

1. मुणाराम पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। **– प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा। **– अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र : वास्ते रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री महेन्द्र जांगिड़ **: प्रार्थी**
पैरवीकर्ता पेरोकार राज **: अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 337/320 के खसरा सं0 122/1, 264/1, 331/1, 354/1 व 702/1 में 8.9530 है0 कृषि भूमि बारानी स्थित है, जिमसें प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र नेतराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम मुणाराम है जो पहचान पत्र परिवार राशनकार्ड से स्पष्ट है प्रार्थी अनपढ है इसलिए अब तक राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं करा सका और ना ही प्रार्थी को इस बात का ज्ञान था राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहनलाल रहने से प्रार्थी के कानूनी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है तथा प्रार्थी अपने राजस्व रिकार्ड, खातेदारी का उपयोग नहीं कर सकता है। चूंकि राजस्व रिकार्ड एक निरन्तर प्रकिया है जिसे दुरूस्त रखना व दुरूस्त करवाना प्रार्थी का कानूनी अधिकार।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मुणाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल दर्ज है जिसके समर्थन में प्रार्थी ने चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति पहचान पत्र प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए प्रदर्शित करवाऐ है जिनमें प्रार्थी का नाम मुणाराम पुत्र नेतराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत डूंगराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाया है जिसमें मुणाराम व मोहनलाल दोनों नाम एक व्यक्ति के होना व सही नाम मुणाराम होना अंकित किया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 337/320 के खसरा सं0 122/1, 264/1, 331/1, 354/1 व 702/1 में 8.9530 है0 कृषि भूमि बारानी स्थित है, जिमसें प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र नेतराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मोहनलाल के स्थान पर **मोहनलाल उर्फ मुणाराम** दुरूस्त कर दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़